भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-136

उत्तर देने की तारीख-22/07/2024

केन्द्रीय विद्यालयों में सीटों की भारी कमी

136. श्री तनुज पुनिया:
श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटी:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देशभर के केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश की भारी मांग है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा में 40 छात्रों के स्थान पर केवल 32 छात्रों को प्रवेश दिया गया है;
(घ) क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का कोटा भी प्रभावित हुआ है और कम प्रवेश के कारण गरीब बच्चों के दाखिले की संख्या में भी कमी आई है;
(ङ) क्या सरकार का आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की स्थिति को देखते हुए केन्द्रीय विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(च) क्या सरकार का देश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में कम से कम एक केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(छ) क्या आन्ध्र प्रदेश के बापतला जिले में केन्द्रीय विद्यालय शुरू करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (च): वर्तमान में देश भर में 1253 केन्द्रीय विद्यालय (केवि) कार्य कर रहे हैं। नए केवि खोलना एक सतत प्रक्रिया है। केवि मुख्य रूप से रक्षा और अर्धसैनिक कर्मियों, केंद्रीय स्वायत्त निकायों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान (आईएचएल) सहित केन्द्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरे देश में शिक्षा का एक सामान्य कार्यक्रम प्रदान

करके खोले जाते हैं। नए केवि खोलने के प्रस्ताव भारत सरकार के मंत्रालयों अथवा विभागों/राज्य सरकारों/संघ राजय क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रायोजित किए जा सकते हैं, जिसमें मानदंडों के अनुसार नए केवि की स्थापना के लिए भूमि और अस्थायी आवास सहित अपेक्षित संसाधन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता होती है। ये प्रस्ताव मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन हैं। केवि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला/ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मानदंडों पर नहीं खोले जाते हैं।

एनईपी 2020 में छात्र-शिक्षक अनुपात (पीटीआर) को 30:1 से कम रखने को प्रोत्साहित किया गया है। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि प्राथमिक कक्षाओं में पीटीआर 30:1 होना चाहिए। सीबीएसई से संबद्ध मानदंडों में यह भी अधिदेशित है कि छात्र-शिक्षकों का अनुपात 30:1 से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, नए केवि को मंजूरी देते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए अनुमोदनानुसार कक्षा/अनुभाग की क्षमता 40 होनी चाहिए।

केविएस के प्रवेश दिशानिर्देश 2024-25 में प्राथमिकता/श्रेणी के अनुसार भरे जाने हेतु 40/45 की कक्षा/अनुभाग क्षमता निर्दिष्ट की गई है। कक्षा I के संबंध में, जबकि 32 सीटें नए नामांकन के रूप में लॉटरी के माध्यम से भरी जाती हैं, 8 माता-पिता के मध्यावधि स्थानांतरण, केवि स्थानांतरण प्रमाणपत्र या वर्ष के किसी भी समय होने वाली किसी अन्य आपात स्थिति आदि के माध्यम से भरी जाती हैं।

आरटीई के अंतर्गत नए प्रवेशों के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित श्रेणियों अर्थात् एससी, एसटी और ओबीसी के लिए अनिवार्य आरक्षण को बरकरार रखा गया है और इसे जारी रखा गया है।

वर्तमान में, केवि में छात्रों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि वांछित शिक्षण परिणामों की प्राप्ति और बेहतर छात्र-शिक्षक अनुपात बनाए रखने के लिए कक्षा की संख्या 40/45 को संशोधित किया गया है। एनईपी-2020 में मौजूदा शैक्षणिक और प्रशासनिक पद्धतियों के पुनर्विन्यास को भी अनिवार्य किया गया है।

(छ): केन्द्रीय विद्यालय संगठन से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में, आंध्र प्रदेश राज्य में 36 केवि कार्यात्मक हैं, जिनमें बापटला जिले में 01 केवि एएफएस सूर्यलंका भी शामिल है। आंध्र प्रदेश के बापटला जिले में एक नया केवि खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

*****